न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 140/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

सावण बनाम दयालाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील – श्री मुकीम खान

निर्णय दिनांक – 25.05..2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सरूपे का तला में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि सरहद मौजा मीये का तला, पटवार क्षेत्र सरूपे का तला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 96/8 रकबा 03.05 बीघा, खसरा सं.145/26 रकबा 76.10 बीघा, खसरा सं. 147/26 रकबा 09.06 बीघा स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा मीये का तला, पटवार क्षेत्र सरूपे का तला, तहसील सेड़वा में खेत खसरा सं. 96/8 रकबा 03.05 बीघा, खसरा सं.145/26 रकबा 76.10 बीघा, खसरा सं. 147/26 रकबा 09.06 बीघा, भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रूपये 500/– फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे

तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05..2018को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सरूपे का तला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी,चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1373 दिनांक 15-6-18

प्रार्थीगण :-

1. सावण पुत्र हकीम
जाति मुसलमान
निवासी मीये का तला
तहसील सेड़वा

विप्रार्थीगण:-

1 दयालाराम पुत्र समेला 2.बाजूदेवी पत्नी समेला . 3 सजण पुत्र मादल 4 खेत 5 मूला पि. खमीशा 6 पीरा 7 कस्तुरा 8 करमू 9 सुमरा पि. खीमा जातियान–भील, निवासी मीये का तला 10 विलाई पत्नी मनु 11 अदरीम पुत्र मलार 12 इदल पुत्र गुलण 13 कायम पुत्र जैसा 14 जोरों पत्नी मुबीन 15 मूमल पत्नी मुबीन 16 मीया 17 माहमद 18 शेरू 19 सुभान 20 साजन 21 इशाक पि मुबीन जातियान–मुसलमान 22 समीदेवी पत्नी भारमल 23 तीजोंदेवी पत्नी भुगड़ा 24 खमीशा पुत्र उमरा जाति मेघवाल निवासी–मींये का तला, तहसील–सेड़वा। जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 140/2018 दिनांक : 25.05.2018

आदेश

तहसीलदार सेडवा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेडवा, पटवार क्षेत्र सरूपे का तला के मौजा मीये का तला के खेत खसरा सं. 96/8 रकबा 03.05 बीघा, खसरा सं.145/26 रकबा 76.10 बीघा, खसरा सं. 147/26 रकबा 09.06 बीघा बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमी की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

मौका कमिश्नर को आवश्यकता होने पर सम्बंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है | कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे | नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चोहटन.

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1373-1377 दिनांक 15-6-18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेडवा
2. प्रार्थी सावण
3. विप्रार्थीगण दयालाराम वगैरा
3. थानाधिकारी पुलिस थाना चोहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

उपखण्ड अधिकारी
चोहटन

उपखण्ड अधिकारी
चोहटन